प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

राज्य के सभी प्राचार्य/प्राचार्या
अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, हरियाणा।

यादि क्रमांक के०शा०स्था० 12/24-2011 सी-II (2)
दिनांक, पंचकूला 15-10-2018

विषय— अवकाश नकदीकरण की गणना एवं सेवा पंजिकाओं में इन्द्राज दर्ज करने बारे मार्ग-दर्शन।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के यादी क्रमांक 24/12-2011 सी0-2 (3) दिनांक 14.08.2018 के द्वारा आपके महाविद्यालय से सेवा निवृत टीचिंग एवं नान-टीचिंग कर्मचारियों को दिनांक 09.04.1987 से अर्जित अवकाश की गणना करते हुए अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान करने बारे हिदायतें जारी की गई है ।

महाविद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल अवधी/चिकित्सा अवकाश/ अर्जित अवकाश की गणना अवकाश नियम, 2002 अनुसार इंद्राज सेवा पंजिका में न करके कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के मामले विभाग में प्राप्त हो रहे है तथा कई प्राचार्य/सेवा निवृत कर्मचारियों द्वारा अवकाश नकदीकरण के संबंध में मार्ग-दर्शन देने बारे भी अनुरोध किया गया है। जिसके संबंध में आपको मार्ग-दर्शन दिया जाता है कि विभाग को सेवा निवृत टीचिंग एवं नान-टीचिंग कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण के मामले भेजने से पूर्व निम्नबिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाए-

1. सेवा निवृत टीचिंग एवं नान-टीचिंग स्टाफ की सेवा पंजिका में अर्जित अवकाश का इंद्राज उनकी अवकाश लेखा रजिस्ट्रर या उपस्थिति रजिस्ट्रर से चैक करके ही किया जाये तथा इसकी पुष्टि भी की जाये कि अवकाश लेखा रजिस्ट्रर या उपस्थिति रजिस्ट्रर से वैरीफाई कर लिए गये है।
2. चिकित्सा अवकाश केवल चिकित्सक द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर ही मान्य होगा तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र निजि मिसल में भी संलग्न होना चाहिए। वेकेशनल स्टाफ अवकाश सेवा नियम 2002 के नियम-18 के पैरा (1) से (3) के तहत तथा नान-वेकेशनल स्टाफ को नियम-19 के पैरा (1),(3) में अंकित प्रावधान के तहत अवकाश के हकदार होंगे।
3. दिनांक 09.04.1987 के पश्चात कर्मचारियों को अर्जित अवकाश ही देय होगा तथा अर्जित अवकाश का हरियाणा सम्बद्व महाविद्यालय अवकाश नियम, 2002 में अंकित प्रावधान के आधार पर गणना करके सेवा पंजिका में इंद्राज दर्ज किया जाये।
4. अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कई बार टीचिंग एवं नान-टीचिंग की हड़ताल रही है, जिसके संबंध में टीचिंग की दिनांक 04.08.1987 से 08.09.1987 तक 36 दिन की हड़ताल अवधि को विभाग के यादी कमांक 25/1-87 सी-4 (3) दिनांक 29.10.2002 एवं दिनांक 25.8.2009 से 28.8.2009 तक 4 दिन की हड़ताल अवधि को विभाग के यादी कमांक 7/18-2009 सी-4 (3) दिनांक 02.03.2010 तथा नान-टीचिंग स्टाफ की दिनांक 01.9.2009 से 03.09.2009 तक 3 दिन की हड़ताल अवधि को विभाग के यादी कमांक 7/19-2009 सी-4 (3) दिनांक 02.03.2010 के तहत देय अवकाश के तौर पर (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) स्वीकृत किया गया था तथा इसके अतिरिक्त यदि किसी महाविद्यालय की सक्षम अथोर्टि द्वारा किसी कर्मचारी का क्रमश: हड़ताल/निलम्बन ईत्यादी की अवधि का अवकाश देय अवकाश के तौर पर स्वीकृत किया गया है, तो इसे कर्मचारियों की सेवा पंजिका में इंद्राज दर्ज किया जाये।
5. वित विभाग द्वारा दिनांक 12.08.1998 को जारी हिदायतो अनुसार सेवा निवृत कर्मचारियों को दिनांक 01.07.1997 के पश्चात अधिकतम 300 दिनो तक का अवकाश नगदीकरण की सीमा रहेगी। उक्त पत्र वित विभाग की वैबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अन्य शर्ते भी अंकित है ।

(हस्ताक्षर)

उपनिदेशक-II
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।